17.05.18

राज्य द्वारा ए०डी०पी०आ० उप०। आरोपी सहित अधिवक्ता श्री गिरीज मटले उप०। प्रकरण आज उपार्पण हेतु नियत है। आज दिनांक को उपार्पण पर उगयपदा के तर्क श्रवण किये

गये।

उपार्पण पर विधार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र गोहद द्वारा अपराध कमाक 22/18 अंतर्गत धारा 363, 366 माठदंठसठ के अंतर्गत आरोपी मनीराम जाटव के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावंजा के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या आरोपी के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 366 के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है आरोपी पर आरोपित अपराध अनन्य रूप से माननीय सन्न न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः प्रस्तुत प्रकरण द.प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सन्न न्यायालय मिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है।

आरोपी को दंग्रस की घारा 207 के अतर्गत अमियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निशुल्क प्रतिया प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण में आरोपी मनीराम जाटव जमानत पर हैं। अत. आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तिथि दिनांक 30.05.2018 को प्रात: 11:00 बजे माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उपस्थित रहें।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर एवं जिला लोक अमियोजन अधिकारी मिण्ड को ग्रेषित की जावं।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय मिण्ड को प्रेवित किये जाते।

(प्रतिष्टा अवस्थी) जे**०ए**म०एफ०सी०, गोहद Andrew Ohn